

डिक्री मुकदमा इबतदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाबता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फा.टं.) आमेर मुख्यालय व इजलास डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर,
आर.ए.एस

वाद संख्या : 24 / 2014

निर्णय दिनांक : 15.07.2025

- सेड्या उर्फ सेडा पुत्र भुवाना जाति मीना (फौत)
1/1 मदन लाल मीना पुत्र सेड्या उर्फ सेडा
1/2 सत्येन्द्र कुमार पुत्र सेड्या उर्फ सेडा
समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम छापराडी तहसील आमेर जिला जयपुर।

— वादीगण

बनाम

- रामनारायण पुत्र कल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम छापराडी तहसील आमेर जिला जयपुर।
- चन्दी देवी बेवा कल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम छापराडी तहसील आमेर जिला जयपुर।



राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा निर्णय

प्रस्तुत तथ्यों, साक्ष्य दस्तावेजात के दृष्टिगत वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादीगण को वाद अधीन भूमि ख. नं. 653 रकबा 3.62 है. वाके ग्राम छापराडी तहसील आमेर जिला जयपुर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जात है व उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण को उक्त उल्लेखित वादग्रस्त भूमि पर कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा कारित ना करें।

वसवत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15.07.2025 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

ओहदा

	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
मुदई	2.00		स्टाम्प अर्जी दावा	2.00	
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00		स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वकालत नामा			महन्ताना वकील		
स्टाम्प वह सबूत			खर्चा गवाहान		
महन्ताना वकील			फीस कमिश्नर		
खर्चा गवाहान			बाबत इजराय हुक्मनामा		
फीस कमिश्नर			मुताफरिक		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मीजान		
मुताफरिक					
मीजान					

